रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092020-221989
CG-DL-E-25092020-221989

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2957] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942
No. 2957] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

आयकर

का.आ. 3308(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया) की धारा 120 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिनियम की धारा 250 की उपधारा (6ग) के अंतर्गत जारी एवं भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड-II में दिनांक 25.09.2020 को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग का.आ. 3297(अ) की सं. 2020 का 77 में प्रकाशित अधिसूचना के साथ पठित अधिनियम की उपधारा (6ख) के अंतर्गत निर्मित तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड-II में दिनांक 25 सितंबर, 2020 को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग का.आ. 76(अ) की अधिसूचना सं. 3296(अ) के तहत प्रकाशित, फेसलेस अपील स्कीम, 2020 (जिसे बाद में स्कीम के रूप में संदर्भित किया गया) को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (जिसे बाद में बोर्ड के रूप में संदर्भित किया गया) एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय फेसलेस अपील केन्द्र (जिसे बाद में 'एनएफएसी' कहा गया) के आयकर प्राधिकारी जिनका मुख्यालय दिल्ली में है, दिनांक 25/9/2020 को अथवा इसके उपरान्त अधिनियम की धारा 246क अथवा 248 के अंतर्गत दाखिल लंबित/शुरू की गई अपीलों के संबंध में स्कीम के पैरा 3 में बोर्ड द्वारा यथा

विनिर्दिष्ट ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों अथवा व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग अथवा आय अथवा आय के वर्ग अथवा मामले अथवा मामले के वर्ग के संबंध में फेसलेस अपील कार्यवाहियों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कार्य करेंगे, नामत:-

अनुसूची

क्र.सं.	आयकर प्राधिकारी
(1)	(2)
1	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (एनएफएसी), दिल्ली
2	आयकर अधिकारी (एनएफएसी)(मुख्या.), प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (एनएफएसी), दिल्ली का कार्यालय
3	आयकर आयुक्त (एनएफएसी), दिल्ली
4	आयकर अधिकारी (एनएफएसी)(मुख्या.), आयकर आयुक्त (एनएफएसी), दिल्ली का कार्यालय
5	अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त (एनएफएसी), दिल्ली
6	उप/सहायक आयकर आयुक्त (एनएफएसी), दिल्ली

2. यह अधिसूचना 25 सितंबर, 2020 से प्रभाव में आएगी।

[अधिसूचना सं.80/2020/फा.सं.279/विविध/66/2014-एसओ-आईटीजे(पार्ट)]

अंजुला जैन, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2020

INCOME TAX

S.O. 3308(E).—In exercise of powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Act) and to give effect to the Faceless Appeal Scheme, 2020 (hereinafter referred to as the Scheme) made under sub-section (6B) of section 250 of the Act and published *vide* notification No. 76 of 2020 of Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, number S.O. 3296(E), dated the 25th September, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) read with notification issued under sub-section (6C) of section 250 of the Act and published *vide* number 77 of 2020 of Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, number S.O. 3297(E), dated the 25th September, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), the Central Board of Direct Taxes (hereinafter referred to as the Board) hereby directs that the Income-tax authorities of the National Faceless Appeal Centre (hereinafter referred to as the NFAC) specified in column (2) of the Schedule below, having its headquarter at Delhi, shall exercise the powers and perform functions, in order to facilitate the conduct of Faceless Appeal Proceedings, in respect of such territorial areas or persons or class of persons or incomes or class of incomes or cases or class of cases as specified by the Board in para 3 of the Scheme, with

respect to appeals filed under section 246A or 248 of the Act, pending or instituted on or after 25.09.2020, namely:-

SCHEDULE

S.No.	Income-tax Authority
(1)	(2)
1	Principal Chief Commissioner of Income-tax (NFAC), Delhi
2	Income-tax Officer (NFAC)(HQ), O/o Principal Chief Commissioner of Income-tax (NFAC), Delhi.
3	Commissioner of Income-tax (NFAC), Delhi
4	Income-tax Officer (NFAC)(HQ), O/o Commissioner of Income-tax (NFAC), Delhi
5	Additional /Joint Commissioner of Income-tax (NFAC), Delhi.
6	Deputy /Assistant Commissioner of Income-tax (NFAC), Delhi.

2. This notification shall come into force with effect from the 25th day of September, 2020.

[Notification No. 80/2020/F.No.279/Misc./66/2014-SO-ITJ(Pt.)]
ANJULA JAIN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

आयकर

का.आ. 3309(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया) की धारा 120 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिनियम की धारा 250 की उपधारा (6ग) के अंतर्गत जारी एवं भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड-II में दिनांक 25.09.2020 को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग का.आ. 3297(अ) की सं. 2020 का 77 में प्रकाशित अधिसूचना के साथ पठित अधिनियम की उपधारा (6ख) के अंतर्गत निर्मित तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड-II में दिनांक 25 सितंबर, 2020 को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग का.आ. 3296(अ) की अधिसूचना सं. 76/2020 के तहत प्रकाशित, फेसलेस अपील स्कीम, 2020 (जिसे बाद में स्कीम के रूप में संदर्भित किया गया) को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (जिसे बाद में बोर्ड के रूप में संदर्भित किया गया) एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय फेसलेस अपील केन्द्र (जिसे बाद में आरएफएसी के रूप में संदर्भित किया गया) के आयकर प्राधिकारी जिनका मुख्यालय उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लिखित स्थानों पर है, दिनांक 25/09/2020 को अथवा इसके उपरान्त अधिनियम की धारा 246क अथवा 248 के अंतर्गत दाखिल लंबित/शुरू की गई अपीलों के संबंध में स्कीम के पैरा 3 में बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों अथवा व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग अथवा आय अथवा आय के वर्ग अथवा मामले अथवा मामले के वर्ग के संबंध में फेसलेस अपील कार्यवाहियों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कार्य करेंगे, नामत:-

अनुसूची

क्र.सं.	आयकर प्राधिकारी	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)
1	मुख्य आयकर आयुक्त (आरएफएसी), दिल्ली	दिल्ली
2	आयकर अधिकारी (आरएफएसी)(मुख्या.), मुख्य आयकर आयुक्त (आरएफएसी), दिल्ली का कार्यालय	दिल्ली